फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामपाल पिता छीतर गुर्जर निवासी मोतीपुरा, वगैरह

बनाम

गणपत पिता रामगोपाल निवासी मोतीपुरा, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर ५१५/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
28/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम मोतीपुरा प0ह0 गांगीथला आराजी सं. 204, 78, 79, 81, 82, 83, 90 कुल किता 07 रकबा 2.7483 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृशि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम मोतीपुरा प0ह0 गांगीथला आराजी सं. 204, 78, 79, 81, 82, 83, 90 कुल किता 07 रकबा 2.7483 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रू राजंकोश में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर जिला शाहपुरा**	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024 / 515 / 2024 दिनांक— 28 / 05 / 2024

निमित्त—

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः— प्र.स.515 / 2024 अनवान रामपाल पिता छीतर गुर्जर निवासी मोतीपुरा, हरपाल पिता छीतर गुर्जर निवासी मोतीपुरा, लाली पुत्री छीतर गुर्जर निवासी मोतीपुरा, कमलीा पुत्री छीतर गुर्जर निवासी मोतीपुरा वगैरह बनाम गणपत पिता रामगोपाल निवासी मोतीपुरा, रूकमणी पत्नि आसाम गुर्जर निवासी मोतीपुरा, रामकिशन पिता हरदेव गुर्जर निवासी मोतीपुरा, सांवरा पिता गणपत गुर्जर निवासी मोतीपुरा, सुखपाल पिता रामगोपाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा रामेश्वर पिता कल्याण गुर्जर निवासी मोतीपुरा श्रीराम पिता कल्याण गुर्जर निवासी मोतीपुरा, सुखपाल पिता रामगोपाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा, प्रेमराज पिता भागुता गुर्जर निवासी मोतीपुरा, लेखराज पिता भागुता गुर्जर निवासी मोतीपुरा, मंजू पत्नि भागुता गुर्जर निवासी मोतीपुरा, बद्री पिता हरचन्द गुर्जर निवासी मोतीपुरा, देव पिता हरचन्द गुर्जर निवासी मोतीपुरा, कमला पत्नि उगमा गुर्जर निवासी मोतीपुरा, परसराम पिता उगमा गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विशयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम मोतीपुरा प0ह0 गांगीथला आराजी सं. 204, 78, 79, 81, 82, 83, 90 कुल किता 07 रकबा 2.7483 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner